रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1981/कार्तिक 30, 1903
[No 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981/KARTIKA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
Part II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1981

का०नि०आ० 288:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) की अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ले० कं० एस० सी० एस० गुलेरी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड जालंधर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल सं० 19/7/सी/एल एण्ड सी/68/3140/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th November, 1981

S.R.O. 288.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jullundur by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. S. C. S. Guleri.

[F. No. 19/7/C/L&C/68/3140-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 289:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा ले० कं० जे० एम० एल० बख्शी को छावनी बोर्ड जालंधर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले० कं० एस० सी० एस० गुलेरी के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाइल सं० 19/7/सी/एल एण्ड सी/68/3140/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 289.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. J. M. L. Bakshi has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Jullundur vice Lt. Co. S. C. S. Guleri who has resigned.

[F. No. 19/7/C/L&C/68/3140/1/C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 290:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ले० कं० वाई० एल० सूद का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड इलाहाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल सं० 19/48/सी/एल एण्ड सी/66/3137/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 290.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Allahabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. Y. L. Sud.

[F. No. 19/48/C/L&C/66/3137-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 291:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा ले० कं० डी० एस० ढिलन को छावनी बोर्ड इलाहाबाद का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले० कं० वाई० एल० सूद के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाइल सं० 19/48/सी/एल एण्ड सी/66/3137/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 291.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. D. S. Dhillon has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Allahabad vice Lt. Col. Y. L. Sud who has resigned.

[F. No. 19/48/C/L&C/66/3137/1-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 292:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर दलीप सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड बेलगाम में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल सं० 19/31/सी/एल एण्ड सी/65/3142/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 292.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Belgaum by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Dalip Singh.

[F. No. 19|31|C|L&C|65|3142/C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 293.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर डी० सी० खन्ना को छावनी बोर्ड बेलगाम का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर दलीप सिंह के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल सं० 19/31/सी/एल एण्ड सी/65/3142/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 293.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major D. C. Khanna has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Belgaum vice Major Dalip Singh who has resigned.

[F. No. 19|31|C|L&C|65|3142-C|D(Q&C)]

का०नि०आ० 294 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर ओ० पी० सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड लखनऊ में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल सं० 19/1/सी/एल एण्ड सी/78/3141/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 294.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Lucknow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Maor O. P. Singh.

[F. No. 19|1|C|L&C|78|3141-C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 295.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा ले० कर्नल भूपाल सिंह को छावनी बोर्ड लखनऊ का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर ओ० पी० सिंह के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल सं० 19/1/सी/एल एण्ड सी/78/3141/1/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 295.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Bhupal Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Lucknow vice Major O. P. Singh who has resigned.

[F. No. 19|7|C|L&C|68|3141|1|C|D(Q&C)]

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1981

का०नि०आ० 296 .—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की अपेक्षानुसार छावनी निधि सेवा नियमावली 1937 के कुछ नियमों में संशोधन का मसौदा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के का० नि० आ० 5, तारीख 31 दिसम्बर, 1980 को 10 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 1 के पृष्ठ 14 से 19 में प्रकाशित हुआ था । उपर्युक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख की समाप्ति के 60 दिन तक इसमें प्रभावित व्यक्तियों के सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं ।

और सभी आपत्तियों व सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा ।

अतः उपर्युक्त नियम की धारा 280 में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार छावनी निधि सेवा नियमावली 1937 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियमों का प्रारंभ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी निधि सेवक (संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

नोट—अधिसूचना संख्या 707, दिनांक 18-9-1937 द्वारा भारत के राजपत्र 1937 भाग-1, पृष्ठ 1503 में प्रकाशित प्रारंभिक नियम ।

तदनन्तर निम्नलिखित द्वारा संशोधित :—

1. अधिसूचना संख्या 369 दिनांक 23-4-1938 भाग-1, पृष्ठ 883
2. अधिसूचना संख्या 890 दिनांक 13-8-1938 भाग-1, पृष्ठ 1371
3. अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 15-4-1939 भाग-1, पृष्ठ 693
4. अधिसूचना संख्या 923 दिनांक 22-6-1940 भाग-1, पृष्ठ 892
5. अधिसूचना संख्या 584 दिनांक 12-4-1941 भाग-1, पृष्ठ 523
6. अधिसूचना संख्या 1707 दिनांक 18-10-1941 भाग-1, पृष्ठ 1528
7. अधिसूचना संख्या 295 दिनांक 14-2-1942 भाग-1, पृष्ठ 346
8. अधिसूचना संख्या 690 दिनांक 28-3-1942 भाग-1, पृष्ठ 640
9. अधिसूचना संख्या 136 दिनांक 6-3-1943 भाग-1, पृष्ठ 275
10. अधिसूचना संख्या 343 दिनांक 19-6-1943 भाग-1, पृष्ठ 656
11. 68/2 (जी)/किस/44 दिनांक 12-8-1944 भाग-1, पृष्ठ 1072
12. अधिसूचना संख्या 396, दिनांक 12-3-1949 भाग-1, खण्ड-3 पृष्ठ 347
13. अधिसूचना संख्या 1441 दिनांक 27-8-1949
14. का० नि० आ० सं० 715 दिनांक 22-4-1950 भाग-1, खण्ड-3
15. का० नि० आ० सं० 343 दिनांक 30-12-1950
16. का० नि० आ० सं० 299 दिनांक 4-7-1953 भाग-2, खण्ड-4, पृष्ठ 268
17. का० नि० आ० सं० 27 दिनांक 11-1-1957 भाग-2, खण्ड-4, पृष्ठ 14
18. का० नि० आ० सं० 240 दिनांक 16-8-1961 भाग-2, खण्ड-4, पृष्ठ 169
19. का० नि० आ० सं० 231 दिनांक 30-4-1970
20. का० नि० आ० सं० 334 दिनांक 23-11-1972
21. का० नि० आ० सं० 273 दिनांक 14-8-1975
22. का० नि० आ० सं० 269 दिनांक 14-10-1976
23. का० नि० आ० सं० 332 दिनांक 16-11-1979
24. का० नि० आ० सं० 66 दिनांक 4-2-1980
25. का० नि० आ० सं० 111 दिनांक 3-3-1980

2. छावनी निधि सेवक नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में,

(1) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, यथास्थिति (1) वह प्राधिकारी जो उस पद पर जिस पर सेवक तत्समय है नियुक्ति करने के लिए सशक्त है, या (2) वह प्राधिकारी जिससे सेवक को उस पद पर नियुक्त किया है, इनमें से जो भी प्राधिकारी उच्चतर प्राधिकारी है ;

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गग) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन किसी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है" ;

(3) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घघ) "अपर्यवेक्षी पद" से किसी बोर्ड के अधीन ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो "पर्यवेक्षी पद" नहीं है" ,

(4) खण्ड (च) में "किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा सेवक नहीं है जो ऐसे पद पर सेवा कर रहा है जिसके लिए लोक राजस्व से पेंशन दी जाती है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(5) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चच) "पर्यवेक्षी पद" से किसी बोर्ड के अधीन कोई ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने या उस के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी ने पर्यवेक्षी पद घोषित कर दिया है" ;

(6) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) छावनी निधि सेवक के संबंध में "अस्थायी सेवक" के अन्तर्गत नियम 9 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थायी पद के पदधारी के अतिरिक्त बोर्ड के अधीन अधिष्ठायी या स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त पदधारी है" ;

3. उक्त नियमों के नियम 3 में "तत्पश्चात् भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन उपान्तरित" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

4. उक्त नियमों के नियम 5 के प्रथम परन्तुक में "पचास रुपए प्रति मास से अन्यून" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए प्रति मास से अन्यून" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 5 ख में (क) उपनियम (3) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से बोर्ड के सेवकों की परिचर्या के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है" ;

(ख) उप नियम (8) में "प्रत्येक बोर्ड द्वारा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) पर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां बोर्ड द्वारा और अपर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएंगी"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में आरम्भ में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किये जायेंगे अर्थात् :—

"ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त जारी करे" ;

8. उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(1) उपनियम (4) में आरम्भिक शब्द "बोर्ड" के स्थान पर "कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे ;

(2) उपनियम (5) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी किसी अस्थायी सेवक की सेवा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचना दे कर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी किन्तु उसके होते हुए भी किसी ऐसे सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकती है । इस प्रकार सेवा-समाप्ति पर सेवक यथास्थिति, सूचना की अवधि उस अवधि के लिये जो सूचना में एक मास कम है उसी दर पर वेतन और भत्ते की रकम के समतुल्य रकम का दावा करने का हकदार होगा जिस पर वह सेवा समाप्ति से ठीक पूर्व वेतन और भत्ते ले रहा था" ।

9. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :

"9. जब बोर्ड के सभापति की राय में अस्थायी सेवकों का नियोजन आवश्यक है तब वह ऐसी शर्तों पर जो आवश्यक समझी जायें छह मास की कुल अवधि के लिये ऐसे पदों का सृजन करने की मंजूरी दे सकता है और ऐसे पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी :

परन्तु—]

(क) इस शक्ति का प्रयोग करते समय बोर्ड का सभापति किसी कार्य विशेष के लिये अस्थायी पदों के सृजन को प्रतिषिद्ध करने वाले बोर्ड के आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा और बोर्ड के आगामी अधिवेशन में अनुमोदन के लिये कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई, प्रत्येक नियुक्ति की लिखित रूप में रिपोर्ट देगा ।

(ख) बोर्ड का सभापति पुष्टि के लिये ऐसी सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट कमान के मुख्य सभादेशक अधिकारी को देगा रिपोर्ट बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् खण्ड (क) के अनुसार की जायेगी जिसके साथ उन शर्तों का पूर्ण स्पष्टीकरण भी संलग्न होगा जिनके कारण नियुक्तियां करनी पड़ी हैं ; और

(ग) ऐसी किसी नियुक्ति की बाबत बोर्ड का अनुमोदन या कमान के मुख्य सभादेशक अधिकारी द्वारा पुष्टिकरण को रोक लिये जाने पर नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी ।"

10. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"10क. (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सेवक को निम्नलिखित दशाओं में निलम्बित कर सकता है :—

(क) जब उस के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुष्ठान है या लम्बित है, या

(ख) जब उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध की बाबत कोई मामला अन्वेषण जांच या विचारण के अधीन है।

(2) किसी सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से :—

(क) यदि वह आपराधिक अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध है, तो अपने निरुद्ध किये जाने की तारीख से,

(ख) किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने की दशा में अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के कारावास से दण्डित किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है अथवा अनिवार्यत : सेवा-निवृत्त नहीं किया गया है, अपनी दोषसिद्धि की तारीख से निलम्बनाधीन समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की संगणना, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास की कोई अंतरावित अवधि है, तो इस प्रयोजन के लिये गणना में ली जाएगी ।

(3) यदि निलंबनाधीन किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और वह मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई करने के लिये या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाता है, तो उसके निलंबन का आदेश पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) यदि किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किसी विधि न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित कर दी जाती है, या शून्य कर दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों पर, जिन पर पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अतिरिक्त जांच की जाये तो उस सेवक के बारे में यह समझा जायेगा कि वह उस पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत बना रहेगा जब तक वह ऐसे अधिकारी द्वारा उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है जो ऐसा करने के लिये सक्षम है।

(ख) यदि कोई सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलंबित किया गया समझा जाता है और उस निलंबन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो वह अधिकारी जो उसे निलंबित करने के लिये सक्षम है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी ऐसी सभी या किन्हीं कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत बना रहेगा जब तक उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता।

11. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"11 (1) कार्यपालक अधिकारी किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियां—

(1) परिनिन्दा ;

(2) जुर्माना,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से और उसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके अनुसार निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियां—

(1) उसकी प्रोन्नति रोकना ;

(2) उसकी उपेक्षा या आदेश-भंग के कारण बोर्ड को हुई कोई धन सम्बन्धी सम्पूर्ण हानि या उसका कोई भाग, उसके वेतन से वसूल करना ;

(3) वेतन वृद्धि रोकना,

बड़ी शास्तियां—

(4) काल-वेतन मान के किसी निम्नतर प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित अवनति कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सेवक वेतन वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और ऐसे करने या न करने के प्रभाव से उसकी भावी वेतन वृद्धियां मुल्तवी होंगी या नहीं ;

(5) किसी निम्नतर काल-वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में ऐसी अवनति जो मामूली तौर पर सेवक के उस काल वेतनमान, वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में जिससे उसकी अवनति की गई है, प्रोन्नति, के लिये अर्जन होगी और जो उस श्रेणी या पद या सेवा में जिससे सेवक की अवनति की गई है, पुनः स्थापन की शर्तों की बाबत और उस श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे पुनः स्थापन पर उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत अतिरिक्त निदेशों सहित या रहित होगी,

(6) अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

(7) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन जिसकी सेवा में वह या किसी अन्य बोर्ड में भावी नियोजन के लिये निर्हरता न होगी ;

(8) सेवा से पदच्युति जो उस बोर्ड के अधीन जिसके अधीन वह पदच्युति के समय नियोजित था या किसी अन्य बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिये मामूली तौर पर निर्हरता होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, अर्थात् :—

(1) सेवक को काल वेतन मान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोकना कि वह दक्षता रोध पार करने के लिये अयोग्य है ;

(2) सेवक के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसको उस श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिये वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति न करना ;

(3) ऐसे सेवक का, जो उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद पर स्थापन्न रूप से कार्य कर रहा है, निम्नतर श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उसे ऐसी उच्च सेवा श्रेणी या पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता है या ऐसे प्रणायिक आधार (आधारों) पर, जो उसके आचरण से सम्बद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन ;

(4) ऐसे सेवक का, जो किसी अन्य सेवा, श्रेणी या पद पर, परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अन्त में उसकी स्थायी सेवा श्रेणी या पद पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, प्रतिवर्तन ;

(5) कर्मचारी की उन उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवा से निवृत्ति जो उसकी अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति के सबंध में है,

(6) (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सेवक की उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले विनियमों और आदेशों के अनुसार ; या

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन सेवा की समाप्ति, या

(ग) किसी करार के निबन्धनों के अधीन नियोजित किसी सेवक की उस करार के निबन्धनों के अनुसार।

परन्तु—

(1) निम्न श्रेणी सेवक से भिन्न किसी श्रेणी के सेवक पर जुर्माना नहीं किया जायेगा और किसी भी मास में जुर्माने की कुल रकम उस सीमा से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ;

(2) इस नियम के अधीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिए गए दण्डों की एक सूची प्रति मास बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।"

12. उक्त नियमों के नियम 11क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11क. किसी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरम्भ की जा सकती है ।"

13. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12(1) विनियम 11 के खण्ड (4) से (8) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, जहां तक संभव हो, इस नियम और नियम 11 में उपबंधित रीति से जांच कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) जब किसी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच यथा स्थिति वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।"

स्पष्टीकरण :—जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां नियमों में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

(3) जहां किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस नियम या नियम 12क के अधीन जांच करने की प्रस्थापना है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी :—

(1) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को आरोपों के निश्चित और सुभिन्न अनुच्छेदों में ;

(2) आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें :—

(क) सभी सुसंगत तथ्यों का कथन जिसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या अस्वीकृति भी है,

(ख) उन दस्तावेजों की सूची, जिनके द्वारा और उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थन किए जाने की प्रस्थापना है ; अन्तर्विष्ट होगे ;

लेखबद्ध करेगा या कराएगा ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक-एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद को समर्थित करने की प्रस्थापना है, सेवक को परिदत्त करेगा या कराएगा और सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाए ।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों को, जो स्वीकार नहीं किए गए है जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहां सेवक ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 12क में अधिकथित रीति से कार्य करेगा ।

(ख) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन सेवक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसा आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहां वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जिसे "उपस्थापक अधिकारी" कहा जाएगा ।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा :—

(1) आरोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति ;

(2) यदि सेवक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन किया है तो उसकी एक प्रति ;

(3) उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के, यदि कोई हैं, कथनों की एक प्रति ;

(4) सेवक की उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का परिदान साबित करने वाला साक्ष्य ; और

(5) उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति ।

(7) सेवक, उसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय पर जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या उस दिन से अनधिक ऐसे विस्तारण समय के भीतर जो जांच अधिकारी अनुज्ञात करे, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।

(8) (क) सेवक अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी अन्य सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नियुक्ति नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी नहीं है या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा नहीं देता है ।

टिप्पण सेवक किसी ऐसे सेवक की सहायता नहीं लेगा जिसके पास दो ऐसे अनुशासनिक मामले लंबित है, जिनमें उसे सहायता देनी है ।

(ख) सेवक अपनी ओर से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे किसी सेवा निवृत्त सेवक की सहायता ले सकता है ।

(9) यदि सेवक जिसमें आरोप के अनुच्छेदों में से किसी की प्रतिरक्षा के अप लिखित कथन में नेस्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा

का कोई लिखित कथन नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेद में से किसी के दोषी होने का अभिकथन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और सेवक से उस पर हस्ताक्षर कराएगा ।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में, जिनका दोषी होने का अभिवचन सेवक करता है, दोषी होने का निष्कर्ष देगा ।

(11) यदि सेवक विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इनकार करता है या ऐसा करने में लोप करता है, तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्य को पेश करे जिससे वह आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक की पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर देगा कि सेवक अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए :—

(1) आदेश से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक इतने विस्तारण समय के भीतर, जितना जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है ;

(2) उन साक्षियों की, जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है, एक सूची प्रस्तुत कर सकता है ;

(3) आदेश से दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक इतने विस्तारण समय के भीतर, जितना जांच प्राधिकारी अनुज्ञा करे, ऐसी दस्तावेजों के जो बोर्ड के कब्जे में हैं किन्तु जो उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं है प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने कि सूचना दे सकता है ।

(12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, वह सूचना या उसकी प्रतिलिपि, दस्तावेजों को उस तारीख तक पेश करने की अभ्यपेक्षा के साथ, जो ऐसी अभ्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, उस प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं, अग्रेषित करेगा :

परन्तु जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों की, जो उसकी राय में मामले से सुसगत नहीं है, उन कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, अभ्यपेक्षा करने से इकार कर सकता है ।

(13) उप नियम (12) में विनिर्दिष्ट अभ्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अभ्यापेक्षित दस्तावेजें हैं, उन्हें जांच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा :—

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अभ्यापेक्षित दस्तावेजें हैं, उन कारणों से, जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना लोकहित के विरुद्ध होगा, तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और ऐसी सूचना मिलने पर जांच प्राधिकारी वह सूचना सेवक को संसूचित करेगा और उस अभ्यापेक्षा को जो उसने ऐसी दस्तावेजों को पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की है, वापस ले लेगा ।

(14) जांच के लिए नियत तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा, जिसके द्वारा आरोपों के अनुच्छेदों के साबित किए जाने की प्रस्थापना है । साक्षियों की परीक्षा सेवक द्वारा या उसकी ओर से की जा सकती है उपस्थापन अधिकारी को जो साक्षियों की ऐसी किन्हीं बातों पर पुन परीक्षा करने का हक होगा जिन पर उनकी प्रति परीक्षा की गई है । किन्तु जांच प्राधिकारी को इजाजत के बिना किसी नई बात पर पुनः परीक्षा करने का हक नहीं होगा । जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह ठीक समझता है ।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बन्द किए जाने से पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुसार दे सकेगा जो सेवक को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुन बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में सेवक ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की जिसे पेश किए जाने की प्रस्थापना है, एक प्रति यदि वह उसकी मांग करता है, प्राप्त करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व पूरे तीन दिन के लिए जांच स्थगित की गई है, अपवर्जित किए जायेंगे, हकदार होगा । जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने के पूर्व सेवक को उनको निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा । यदि जांच प्राधिकारी की राय है कि किसी साक्ष्य का पेश किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह सेवक को भी ऐसा नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बन्द कर दिया जाता है तब सेवक से वह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा का कथन मौखिक या लिखित रूप में, जैसा वह चाहे करे यदि मौखिक प्रतिरक्षा की जाती है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी । दोनों में से किसी भी दिशा में प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति उपस्थापन अधिकारी को, यदि कोई नियुक्ति किया गया है, दी जाएगी ।

(17) तब सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । सेवक, यदि वह चाहता है तो अपनी ओर से स्वय परीक्षा कर सकता है । तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो सेवक द्वारा पेश किए जाए और अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा पुनः परीक्षा और परीक्षा साक्षियों को लागू उपबधों के अनुसार की जा सकती है ।

(18) जांच प्राधिकारी, सेवक द्वारा अपना मामला बन्द कर दिए जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए कि सेवक अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में सेवक के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकेगा और यदि सेवक ने स्वयं परीक्षा नहीं की है तो ऐसा अवश्य करेगा ।

(19) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात् उपस्थापन अधिकारी को, यदि कोई नियुक्ति किया गया है और सेवक को सुनवाई कर सकेगा या यदि वे ऐसा चाहें तो, उन्हें अपने-अपने मामले के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(20) यदि वह सेवक जिसे आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति दी गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश नहीं करता है

या जाँच प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अनुपालन करने से इनकार करता है, तो जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा ।

(21) (क) जांच उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने जो नियम 11 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से (3) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। किन्तु नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (4) से (8) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की है या कराई है और उस प्राधिकारी की स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या ऐसे किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के और खण्ड (4) से (8) में विनिर्दिष्ट शास्तियां सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहां वह प्राधिकारी जांच का अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो वर्णित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे जाते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी राय है कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा और सेवक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह इन नियमों के अनुसार ठीक समझे।

(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जाँच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुने और अभिलिखित किए जाने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बन्द कर देता है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसी अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागतः अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्यायालय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे किन्हीं भी साक्षियों को पुनः बुला सकेगा, उनकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा, इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कर सकेगा ।

(23) (1) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) आरोप के अनुच्छेद तथा अवचार और कदाचार के लांछनों का विवरण,

(ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा ;

(ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ;

(घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उसके लिए कारण ।

स्पष्टीकरण :—(1) यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद साबित होता है जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ;

परन्तु आरोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक नहीं अभिलिखित किए जाएंगे जब तक कि सेवक उन तथ्यों को, जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है, स्वीकार नहीं कर लेता है या उसको आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(2) जांच प्राधिकारी, जहां कि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को, जांच का ऐसा अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) वह रिपोर्ट जो उसने खण्ड (1) के अधीन तैयार की है;

(ख) सेवक द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा का, यदि कोई है लिखित कथन;

(ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान उपस्थापन अधिकारी या सेवक या दोनों द्वारा फाइल किए गए लिखित संक्षेप, यदि कोई है, और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच अधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई है।

14 उक्त नियमों के नियम 12-क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे :—

"12-क (1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को अतिरिक्त जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी, को प्रेषित कर सकेगा और जांच प्राधिकारी, तदुपरियावतशक्य नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त जांच करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि वह साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों का ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से (3) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो नियम 12 में किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा।

(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप से सभी या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (4) से (8) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित या अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

12 (ख) (1) नियम 12-क के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से (3) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश :—

(क) सेवक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के लांछनों की जिन पर कार्यवाही के किए जाने की प्रस्थापना है लिखित सूचना देने और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का जैसा वह प्रस्थापना के विरुद्ध करना चाहे युक्तियुक्त अवसर दे दिए जाने;

(ख) नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है, जांच करने,

(ग) खण्ड (क) के अधीन सेवक द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई है, और खण्ड (ख) के अधीन की गई जांच, यदि कोई की गई है, अभिलेख पर विचार करने, और

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मामले में, सेवक द्वारा इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापित किया जाता है कि वेतन वृद्धियां, रोक दी जाए और ऐसी वेतन वृद्धियां रोकने की शास्ति से सेवक को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं या किसी अवधि के लिए सचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं तो सेवक पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से जांच की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित होंगे :—

(1) सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की बाबत की गई संसूचना की एक प्रति;

(2) उसको परिदत्त अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(3) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई है;

(4) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य;

(5) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष, और

(6) मामले में आदेश तथा उसके लिए कारण।

12(ग) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश, सेवक को संसूचित किए जाएंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच, यदि कोई है, की रिपोर्ट की एक प्रति और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी दी जाएगी या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का एक विवरण दिया जाएगा तथा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असहमति यदि कोई है, के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाएंगे, यदि वे पहले ही से उसे नहीं दिए गए हैं।

12(घ) (1) जहां किसी मामले में दो या अधिक सेवक सबद्ध है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी जो ऐसे सभी सेवकों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध एक ही कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

12(ङ) नियम 12 में 12-घ में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) जहां किसी सेवक पर कोई शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की जाती है जिसके कारण उसकी किसी आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि हुई है; या

(2) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबन्धित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझता है।

12(च) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध अपील नहीं होगी —

(1) अंतवर्ती प्रकृति का कोई आदेश या निलम्बन आदेश से भिन्न ऐसा आदेश जो अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिए सहायक है,

(2) नियम 12 के अधीन जांच के अनुक्रम में जांच अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश।

15 उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में, "और यथा अवसर किसी अच्छी या खराब सेवा के प्रति निर्देश" शब्दों का लोप किया जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 39 में उप नियम (2) के खण्ड (ग) में के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु किसी ऐसे सेवक को, जिसे छावनी की वस्तुओं आदि का दुर्विनियोग, गबन, या चोरी के लिए दोषी पाया गया है या जिसे छावनी की वस्तुओं के दुर्विनियोग, गबन या चोरी का पता लगने की तारीख के पश्चात् पदच्युत किया या पद से हटाया गया है या उस तारीख के पश्चात् जिस तारीख को इन नियमों के अधीन ऐसे सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से पदच्युत किया या हटाया गया, बोनस का संदाय नहीं किया जाएगा।"

[सं० 25/133/मी०/एल० एण्ड सी०/69/3109-सी० (क्यु० एण्ड सी०)]

आदित्य कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 1981

S.R.O. 296.—Whereas a draft of certain rules to amend the Cantonment Fund Servants Rules, 1937, was published as required by Section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 5 dated the 31st December, 1980, in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 10th January 1981, at pages 14 to 19 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification.

And whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 280 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Cantonment Fund Servants Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cantonment Fund Servants (Amendment) Rules, 1981;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cantonment Fund Servants Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules, in rule 2,—

(i) after clause (a) the following clause shall be inserted, namely :—

"(aa) "appointing authority" means (i) the authority empowered to make appointments to the post which the servant for the time being holds, or (ii) the authority which appointed the servant to such post as the case may be, whichever authority is the higher authority";

NOTE:—Principal rules published vide notification No. 707, dated 18-9-1937 in the Gazette of India, 1937, Pt. I, p. 1503.

Subsequently amended by:—

1. Notification No. 369, dated 23-4-1938, Pt. I, p. 883
2. " " 890, dated 13-8-1938, Pt. I, p. 1379
3. " " 465, dated 15-4-1939, Pt. I, p. 693
4. " " 923, dated 22-6-1940, Pt. I, p. 892

5.	Notification No.	584, dated 12-4-1941, Pt. I, p. 523
6.	„ „	1707, dated 18-10-1941, Pt. I, p. 1528
7.	„ „	295, dated 14-2-1942, Pt. I, p. 346
8.	„ „	590, dated 28-3-1942, Pt. I, p. 640
9.	„ „	136, dated 6-3-1943, Pt. I, p. 275
10.	„ „	343, dated 19-6-1943, Pt. I, p. 656
11.	68/2(G)/Case/44	, dated 12-8-1944, Pt. I, p. 1072
12.	Notification No.	396, dated 12-3-1949, Pt. II/Sec. 3, p. 347
13.	„ „	1441, dated 27-8-1949
14.	S. R. O. No.	715, dated 22-4-1950, Pt. I, Sec. 3.
15.	„ „	343, dated 30-12-1950
16.	„	299, dated 4-7-1953, Pt. II, Sec. 4, p. 268
17.	„ „	27, dated 11-1-1957, Pt. II, Sec. 4, p. 14
18.	„ „	240, dated 16-8-1961, Pt. II, Sec. 4, p. 169
19.	„ „	231, dated 30-4-1970.
20.	„ „	334, dated 32-11-1972.
21.	„ „	273, dated 14-8-1975.
22.	„ „	269, dated 14-10-1976
23.	„ „	332, dated 16-11-1979
24.	„ „	66, dated 4-2-1980
25.	„ „	111, dated 3-3-1980.

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(cc) "disciplinary authority" means the authority competent under these rules to impose on a servant any of the penalties specified in rule 11";

(iii) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :—

"(dd) "non-supervisory post" means any appointment under a Board which is not a "supervisory post";

(iv) in clause (f), the words "but dose not include any servant who may be serving in the post which is pensionable from public revenues" shall be omitted;

(v) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ff) "supervisory post" means any appointment under a Board which has been declared as a Supervisory post by the Central Government or such authority as may be authorised by it in this behalf";

(vi) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) "temporary servant" in relation to a Cantonment Fund Servant includes besides the incumbent of a temporary post sanctioned under rule 9, the incumbent on a temporary basis of a substantive or permanent post under the Board".

3. In rule 3 of the said rules, the words "and subsequently modified under the Government of India Act, 1935", shall be omitted.

4. In the first proviso to rule 5 of the said rules, for the words "not less than fifty rupees per mensem", the words "not less than two hundred and fifty rupees per mensem" shall be substituted.

5. In rule 5-B of the said rules,—(a) in sub-rule (3) after the existing proviso, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—Authorised medical attendant for the purpose of this rule means the Medical Officer appointed by the Board to attend on the servant of the Board".

(b) in sub-rule (8) for the words "by each Board" the words "by the appointing authority" shall be substituted.

6. For sub-rule (1) of rule 7 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) All appointments to supervisory post shall be made by the Board and to non-supervisory posts by the Executive Officer."

7. In clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 of the said rules, after the words "qualified service" the following words shall be inserted, namely :—

"subject to such directions as the Central Government may issue from time to time in this regard".

8. In rule 8 of the said rules,—

(i) in sub-rule (4) for the opening words "The Board", the words "The Executive Officer" shall be substituted;

(ii) after the proviso to sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that the service of a temporay servant shall be liable to termination at any time by a notice given by the appointing authority to the servant. The period of such notice shall be one month but notwithstanding the same the service of any such servant may be terminated forthwith. On such termination the servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice, at the same rates at which he was drawing immediately before the termination of service or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month."

9. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"9. when in the opinion of the President of the Board, the employment of temporary servants is necessary, he may sanction creation of such temporary posts for an aggregate period not exceeding six months on such conditions as may be considered necessary and appointment to such posts shall be made by the appointing authority concerned;

Provided that,—

(a) The President of the Board in the exercise of this power shall not act in contravention of an order of the Board prohibiting the creation of temporary posts for any particular work, and shall report in writing every appointment made under the rule by the Executive Officer for the approval of the Board at the next meeting;

(b) all such appointments shall be reported by the President of the Board to the Officer Commanding-in-Chief the Command, for confirmation the report being made after the approval of the Board has been obtained in accordance with clause (a), and being accompanied by a full explanation of the conditions which have given rise to the appointments; and

(c) if the approval of the Board or the confirmation of the Officer Commanding-in-Chief the Command, is withheld in the case of any such appointment, the appointment shall be terminated forthwith".

10. After rule 10 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"10A. (1) the appointing authority may place a servant under suspension.—

(a) Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending or

(b) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial;

(2) A servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority :—

(a) With effect from the date of his detention if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours;

(b) With effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed

or removed or compulsory retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of the forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further enquiry or action or with any directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstance of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where a servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceedings are commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate."

11. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"11. (1) The following penalties may, for good and for sufficient reasons to be recorded in writing, be imposed by the Executive Officer on a servant, namely :—

Minor Penalties—

(i) Censure;

(ii) Fine.

(2) The following penalties may, for good and for sufficient reasons, and as hereinafter provided, be imposed by the appointing authority on a servant, namely :—

Minor Penalties—

(i) Withholding of his promotion;

(ii) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of order;

(iii) Withholding of increment of pay.

Major Penalties—

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(v) reduction to lower time-scale or pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the servant to the time-scale or pay grade, post or service from which he was reduced with or witnout further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(vi) compulsory retirement;

(vii) removal from service which shall not be a disqualification for furture employment under the Board in whose service he was at the time of such removal or any other Board;

(viii) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Board under whom he was employed at the time of dismissal or any other Board.

Explanation—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely :—

(i) stoppage of a servant at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(ii) non-promotion of a servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible.

(iii) reservation of servant officiating in higher service, grade, or post to a lower service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(iv) reversion of a servant, appointed on probation to any other service, grade or post, to his permanent service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(v) compulsory retirement of a servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement; and

(vi) termination of the services—

(a) of a servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary servant in accordance with the provision of sub-rule (5) of rule 8; or

(c) of a servant, employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement:

Provided that—

(i) no fine shall be imposed on any servant other than a lower grade servant and in no case shall the aggregate of fine in any month exceed such limit as may, from time to time, be specified by the Central Government.

(ii) a list of punishments, inflicted under this rule by the Executive Officer, shall be submitted monthly to the Board."

12. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

"11A. Disciplinary proceedings against a servant may be initiated by the appointing authority"

13. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"12. (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of rule 11 shall be made except after an enquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 12A.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule, as the case may be, any authority to enquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in rules to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a servant under this rule and rule 12-A, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up,—

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge which shall contain;

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the servant;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On a receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 12A.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the servant the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquire into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a servant or a legal practitioner to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority :

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the servant;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the servant; and

(v) a copy of the order appointing the Presenting Officer.

(7) The servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such extended time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

(8) (a) The servant may take the assistance of any other servant to present the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

NOTE :—The servant shall not take the assistance of any other servant who has two pending disciplinary cases in hand in which he has to give assistance.

(b) The servant may also take the assistance of a retired servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Central Government from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the servant may, for the purpose of preparing his defence :—

(i) inspect within five days of the order or within such extended time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

(iii) give a notice within ten days of the order or within such extended time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the board but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the document are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition :

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to requisition such of the documents as are in its opinion not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority :

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reason to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on behalf so informed, communicate the information to the servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(14) On the date fixed for inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge

are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the servant shall be entitled to have, if he demands it a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interests of justice.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer If the defence is made orally, it shall be recorded and the servant shall be required to sign the record. In their case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the servant shall then be produced. The servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the servant closes his case, and shall, if the servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any appointed, and the servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clause (1) and sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 (but not competent to impose any of penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are to be forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction herein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may, act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may, recall examine, cross-examine and re-examine, any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (1) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the servant in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and reasons therefor.

Explanation.—(i) If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(2) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

(a) the report prepared by it under clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the servant;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the servant or both during the course of the inquiry, and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry".

14. For rule 12A of the said rules, the following rules shall be inserted; namely :—

"12A. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 12.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiry authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule 12 make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of clause (2) rule 11 should be imposed on the servant, it shall make an order imposing such penalty and it should not be necessary to give the servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

12B. (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12A; no order imposing on a servant any of the penalties specified in sub-clause (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be made except after :—

(a) informing the servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal ;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 12, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary ;

(c) taking the representation, if any, submitted by the servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration ; and

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay and such with-holding of increments is likely to effect adversely the amount of pension payable to the servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments, if any, with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 12, before making any order imposing on the servant any such penalty.

(3) The record of proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the servant of the proposal to take action against him ;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him ;

(iii) his representation ; if any ;

(iv) the evidence produced during the inquiry ;

(v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour ; and

(vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

12C. Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and copy of its findings on each article of charge, o. where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the repo t of the inquiring authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him.

12D. Where two or more servants are concerned in any case, the disciplinary authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

12E. Notwithstanding anything contained in rules 12 to 12D :

(i) Where any penalty is imposed on a servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge ; or

(ii) Where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

12F. Notwithstanding anything contained in these rules no appeal shall lie against—

(i) any order of an interlocutory nature or of the nature of a stay-in-aid for the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension ;

(ii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 12".

15. In sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, the words "and references to any good or bad services shall, as occasion arises" shall be omitted.

16. In rule 39 of the said rules, after clause (c) of sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no such bonus shall be paid to any servant who has been found guilty of mis-appropriation, embezzlement or theft of Cantonment stores, etc. has been dismissed or removed from service of the Board for any period subsequent to the date of detection of such misappropriation, embezzlement or theft of Cantonment Stores or date on which disciplinary proceedings under these rules have been initiated against such servant resulting in his removal or dismissal from service".

[F. No. 25/133/C/L&C/69/3109-C/C|D(Q&C)]
ADITYA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (सिविलियन) (एस० एस०ओ० श्रेणी-2) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौ सेना (सिविलियन राजपत्रित) चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (एस०एस०ओ० श्रेणी-2) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4 निर्हताएं वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
चिकित्सा भौतिकविज्ञानी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" अलिपिकवर्गीय राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :—स्तम्भ 6 में उल्लिखित आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में कम से कम मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विकिरण चिकित्सा भौतिक विज्ञान में अर्हता या समतुल्य या इंस्टीच्यूट आफ फिजिक्स इंगलैण्ड का ऐसोसिएट/फेलो। (3) कैंसर संस्थान के विकिरण चिकित्सा विभाग में भौतिक विज्ञानी के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 :—अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है

1	2	3	4	5	6	6क	7
							कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय : जर्मन/फ्रेंच/रशियन का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क) (1) जो सदृश्य पद धारण कर रहे हैं, या (2) जो 650-1200 रु० के वेतनमान के पद पर तीन वर्ष का अनुभव या समतुल्य रखते हैं, या (3) जो 550-900 रु० के वेतनमान के पद पर पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य रखते हैं, या (4) वे शैक्षणिक अर्हताएं अनुभव आदि रखते हैं जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 के अधीन विहित है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति। 1. संयुक्त सचिव (नौसेना) —अध्यक्ष 2 सिविलियन कार्मिक, निदेशक, नौसेना मुख्यालय—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण पर नियुक्ति करने के लिए चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा० सं० सी०पी०(जी०)/1476]
एम० सी० जुनेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November, 1981

S.R.O. 297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Physicist (Civilian) (SSO-Gde-II) in the Navy, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Navy (Civilian-Gazetted) Medical Physicist (SSO-II) Recruitment Rules, 1981.

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2 Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—When the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Recruitment Rules for the Post of Medical Physicist in the Ministry of Defence (Civilian) (SSO Grade-II) in Naval Headquarters

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS Pension Rules 72	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6(a)	(7)
Medical Physicist	1	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) At least Second Class Master's Degree in Physics or a recognised University or equivalent. (ii) Qualification in Radiology Physics from a recognised Institution or equivalent or Associate/ Fellow of the Institute of Physics of England. (iii) 2 years' experience in a well established Department of Radiotherapy of Cancer Institute as a Physicist. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Knowledge of German/ French/Russian.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation /transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By transfer on deputation/ transfer failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation/transfer Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts or (ii) with 3 years' service in Posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent or (iii) with 5 years' service in Posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent ; and (b) Possessing the educational qualifications, experience etc. prescribed for direct recruits under Column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' DPC (for considering confirmation) 1. Joint Secretary (Navy) —Chairman 2. Director of Civilian Personnel Naval Head quarters —Member. Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh DPC to be presided over by the Chairman or a member of the UPSC shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on transfer on deputation or transfer and amending/ relaxing any of the Provisions of these rules.

[File No. CP (G)/1476]
M. C. JUNEJA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981